<u>न्यायालय-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैतूल, जिला-बैतूल (म.प्र.)</u> (समक्ष-विजयश्री राठौर)

<u>व्य.वाद प्र. कमांक 282'ए'</u> संस्थापन दिनांक :-21.12.2017

- मनोज वल्द-श्री मदनलाल रावत, 1. निवासी-लोहिया वार्ड गंज बैतूल तहसील-बैतूल व जिला-बैतूल, मध्यप्रदेश,
- प्रदीप वल्द-श्री नारायण मालवीय, 2. निवासी-जयप्रकाश वार्ड गर्ग कालोनी गंज बैतूल,
- प्रशांत वल्द-श्री राजू प्रधान, निवासी-खंजनपुर बैतूल, तहसील व जिला-बैतूल,
- जगदीश वल्द-श्री धुडल्या मासोदकर, निवासी–ग्रीनसिटी विवेकानंद वार्ड बैतूल,
- रजनी पति–श्री राजा पांडे, निवासी-जवाहर वार्ड गंज बैतूल,
- रमेश वल्द–श्री हल्के मालवी, निवासी-शंकर वार्ड गंज बैतूल,

–वादीगण/आवेदकगण

विरुद्ध

नगरपालिका परिषद-बैतूल, 1. द्वारा-मुख्य नगरपालिका अधिकारी बैतूल,

–प्रतिवादी / अनावेदक

ः श्री गुफरान खान अधिवक्ता। वादी द्वारा ः श्री राकेश बर्डे अधिवक्ता। प्रतिवादी क्रमांक 1

।। <u>आदेश</u>।।

(आज दिनांक: 04 अप्रैल, 2018 को पारित किया गया)

- इस आदेश के द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सि.प्र.सं., आई.ए.नं. 1 का निराकरण किया जा रहा है।
- आवेदन संक्षिप्तः इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा नगरपालिका परिषद बैतूल से गंज मंडी परिषर में नव निर्मित 6 दुकाने नीलामी में उच्चतम बोली लगाकर प्राप्त की गई है, जिसका मासिक किराया भी नियमितरूप से वादीगण नगरपालिका परिषद बैतूल को अदा कर रहे है। उक्त वादग्रस्त दुकाने पर पीछले 9-10 वर्षों से वादीगण शांतिपूर्णरूप से काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रहे है। प्रतिवादी उक्त नव निर्मित सीमेंट कॉकीट की दुकानी को तोड़ने हेतु तत्पर है, जबकि गंज मंडल प्रागंण में कई अतिक्रमणकारियों द्वारा भूमि पर अवैधरूप से दुकाने संचालित की जा रही है, उन्हें ना हटातें हुये विधिक पट्टाधारियों को हटाने का प्रयास अवैधरूप से किया जा रहा है। वादीगण उक्त वादग्रस्त दुकानो पर स्वयं का व्यवासय संचालित कर परिवार का भरण-पोषण करते है तथा उनके पास अन्य कोई दुकाने भी नही है। प्रतिवादी द्वारा विवादित दुकानो को बलातरूप से खाली कर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है तथा प्रतिवादी द्वारा उक्त दुकान खाली करवाने में विधिक प्रक्रिया को नजर-अंदाज किया कर अवैधानिक कार्य किया जा रहा है। यदि विहित प्रक्रिया को अपनाये बिना विवादित दुकाने बलातरूप से खाली कराकर तोड़ी गई तो वादीगण को अपूर्णियक्षति कारित होगी। अतः वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्वयं अथवा अन्य किसी के माध्यम से वादग्रस्त द्कान को खाली करने एवं तोड़ने की कार्यावाही ना करने संबंधित अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।
- प्रतिवादी द्वारा उत्तर प्रस्तुत कर आवेदन में वर्णित समस्त तथ्यो को अस्वीकार कर अभिवचन किया है कि नगपालिका बैतूल द्वारा बैतूल गंज मंडी स्थित भूमि पर बहुउददेशीय शॉपिंग कॉम्पलेक्श का निर्माण कराया जा रहा है। योजना में उपयोग की जाने वाली भूमि नगरपालिका परिषद बैतूल के आधिपत्य में है। उक्त निर्माण कार्य प्रारंभ किये जाने से पूर्व प्रतिवादी द्वारा समस्त आवश्यक स्वीकृति प्राप्त किया जाकर निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। वादग्रस्त दुकानो के संबंध में वर्तमान में कोई कार्यवाही प्रस्तावित नही है। नगपालिका क्षेत्र में योजना अंतर्गत निर्माण कार्य करने के स्टेच्यूटरी अधिकार प्रतिवादी को है। प्रत्यक्षतः प्रतिवादी के लिये इंगित विधि के या कियांव्यन के प्रति अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान किये जाने की स्थिति में नगरपालिका परिषद को अपूर्णीय एंव अपरिसीमित क्षति होगी। अतः आवेदन आधारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।
 - अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन का निराकरण करने हेतु न्यायालय

द्वारा प्रमुखतः निम्न बिन्दुओ पर विचार किया जाना आवश्यक है :-

- क्या प्रथम दृष्टया वाद वादी के पक्ष में है ? अ)
- क्या अपूर्णीय क्षिति का सिद्धान्त वादी के पक्ष में है? ৰ)
- क्या सुविधा का संतुलन का सिद्धान्त वादी के पक्ष में है स)

~सकारण निष्कर्ष~ विचारणीय बिन्दु कमांक—1

सर्वप्रथम यह निर्धारित किया जाना आवश्यक है कि क्या प्रथमदृष्टया वाद वादी के पक्ष में हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा के लिये आवेदक का प्रथमदृष्टया मामला ऐसा स्थापित होना चाहिए जिसमें जांच के लिए एक विचारणीय प्रश्न निहित हो जो साक्ष्य को लेकर ही तय हो सकता है और उसमें आवेदक के विजयी होने की प्रबल संभावना हो।

वादी द्वारा अपने समर्थन में दुकान नंबर 4 की प्रीमियम राशि जमा करने का आवेदन पत्र, दुकानो का नक्शा, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 25,03.2010, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 31,03.2011, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 28,02.2009, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 02.03.2009, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 03.04.2012, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 05.04.2012, दुकान नंबर 5 की 25 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने का आवेदन, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 28.04.2012, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 05.05.2012, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 06.09.2012, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 28.02.2009, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 03.2009, दुकान क्रमांक-1 की अवशेष राशि जमा करानें संबंध में आवेदन, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 10.11.09, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 02.03.2009, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 28.07.2009, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 31.03.2011, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 19.06.2017, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 03.04. 2012, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 28.03.2012, नगपालिका परिषद बैतूल का सर्विस टैक्स का आरोपण किये जाने संबंध में आवेदन, नगापालिका परिषद बैतूल उच्चतम प्रस्ताव की अवशेष राशि जमा कर दुकान का आधिपत्स ग्रहण करने संबंध में आवेदन, नगर पालिका परिषद उच्चतम प्रस्ताव दर की 40 प्रतिशत राशि जमा कराने संबंध में आवेदन, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 08.05.2012, नगरपालिका परिषद बैतूल सब्जी मंडी की ओक्सन दुकान कमांक-2 में लेने हेतु आवेदन पत्र, प्रशांत का पहचान पत्र, आयकर विभाग का प्रमाण पत्र, नगपालिका

परिषद की विविध रसीद दिनांक 18.05.2012, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 23.10.2012, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 25.03.2017, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 08.05.2017, दुकान क्रमांक-6 की 25 प्रतिशत राशि जमा कराने जाने संबंध में आवेदन, नगरपालिका अधिनियम का बिल , नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 09.05.2015, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 03.04.2017, नगपालिका परिषद की विविध रसीद, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 18.07.11, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 28.02.2009, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 29.03.2010, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 13.01.2011, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 13.07.2009, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 02. 03.2009, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 16.11,2009, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 28.04.2012, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 25. 03.2010, मंडी शॉपिंग काम्पलैक्स में दुकान अवंटन का आवेदन, नीलामी में क्रय की गई नगरपालिका से दुकानों को तोडने की कार्यवाही रोकने का आवेदन, दुकान कमांक-3 की प्रिमियम राशि जमा करने का आवेदन, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 02.03.2009, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 28.07.2009, प्रदीप मालवीय को जनसूनवाई का कलेक्टर को दिया गया आवेदन, वादग्रस्त दुकानों की 4 फोटो एवं फोटो का बिल मनोज रावत एंव ब्रजगापाल के शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं। एवं प्रतिवादी द्वारा अपने समर्थन में नजूल मेन्टोनेन्स खसरा दिनांक 11.08. 2014 दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

7— वादीगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादीगण द्वारा नगरपालिका परिषद बैतूल से गंज मंडी परिषर में नव निर्मित वादग्रस्त 6 दुकाने नीलामी में उच्चतम बोली लगाकर प्राप्त की गई है, जिसका मासिक किराया भी नियमितरूप से वादीगण नगरपालिका परिषद, बैतूल को अदा कर रहे है। उक्त वादग्रस्त दुकाने पर पीछले 9—10 वर्षों से वादीगण शांतिपूर्णरूप से काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रहे है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत कार्यालय नगर परिषद बैतूल द्वारा प्रिमियम राशि जमा करने हेतु वादीगण को दिये गये सूचना पत्र के अवलोकन से दर्शित है कि जगदीश को मंडी परिसर शॉपिंग काम्पलेक्स में वादग्रस्त दुकान कमांक—1, प्रशांत को दुकान कमांक—2, रमेश को दुकान कमांक—3, मनोज रावत को दुकान कमांक—4 एवं रजनी पांडे को दुकान कमांक—5 नीलामी के शर्तो के अधीन उच्चतम बोली लगाने पर आवंटित की गई थी तथा वादीगण द्वारा प्रिमियम राशि अदा करने विवादित दुकानों का आधिपत्य गृहण करने हेतु सूचित किया गया था। कार्यालय नगरपालिका परिषद बैतूल की विविध रसीद के अवलोकन से दर्शित है कि वादीगण द्वारा नीलामी में आवंटित दुकान की प्रिमियम राशि प्रतिवादी नगरपालिका परिषद बैतूल की विविध रसीद के अवलोकन से दर्शित है कि वादीगण द्वारा नीलामी में आवंटित दुकान की प्रिमियम राशि प्रतिवादी नगरपालिका परिषद बैतूल को अदा की गई थी। उपसेक्त दस्तावेजों के आधार पर यह प्रथमदृष्टया

दर्शित है कि वादीगण को उपरोक्त दुकाने आवंटित की गई थी, जिनके संबंध में प्रिमियम राशि अदा करने वह उक्त दुकानों के वैध आधिपत्य में है।

वादीगण की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी उक्त नव निर्मित सीमेंट कॉकीट की दुकानो को तोड़ने हेतु तत्पर है, जबकि गंज मंडल प्रागंण में कई अतिक्रमणकारियों द्वारा भूमि पर अवैधरूप से दुकाने संचालित की जा रही है, उन्हें ना हटाते हुये विधिक पट्टाधारियों को हटाने का प्रयास अवैधरूप से किया जा रहा है। इसके विपरीत प्रतिवादी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि नगपालिका बैतूल द्वारा बैतूल गंज मंडी स्थित भूमि पर बहुउद्देशीय शॉपिंग कॉम्पलेक्श का निर्माण कराया जा रहा है। योजना में उपयोग की जाने वाली भूमि नगरपालिका परिषद बैतूल के आधिपत्य में है। उक्त निर्माण कार्य प्रारंभ किये जाने से पूर्व प्रतिवादी द्वारा समस्त आवश्यक स्वीकृति प्राप्त किया जाकर निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। वादग्रस्त दुकानो के संबंध में वर्तमान में कोई कार्यवाही प्रस्तावित नही है। नगपालिका क्षेत्र में योजना अंतर्गत निर्माण कार्य करने के स्टेच्यूटरी अधिकार प्रतिवादी को है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत मनोज रावत एंव ब्रजगोपाल के शपथ पत्र के अवलोकन से दर्शित है कि प्रतिवादी द्वारा वादीगण की वादग्रस्त दुकानो को तोड़ने तत्कालिक संभावना है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत कलेक्टर बैतूल को नीलामी में क्य की गई वादग्रस्त दुकानों के संबंध में दुकानों को तोड़ने की कार्यवाही रोकने बाबत् आवेदन के अवलोकन से दर्शित है कि प्रतिवादी द्वारा वादीगण को आवंटित नव निर्मित बादग्रस्त दुकाने अतिक्रमण के नाम पर तोड़ने / खाली कराने के संबंध में राके जाने हेतु शिकायत की गई थी, जिससे यह प्रथमदृष्टया दर्शित होता है कि प्रतिवादी द्वारा वादीगण के वैध आधिपत्य में अनाधिकृत एंव अवैधानिक रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है। इस संबंध में वादीगण द्वारा कार्यालय कलेक्टर द्वारा बैतूल में प्रस्तृत जनसूनवाई आवेदन भी पेश किया जाना दर्शित है।

9— वादीगण का वादग्रस्त दुकानो पर प्रथमदृष्टया वैध आधिपत्य होनो दर्शित है तथा यह भी प्रथमदृष्टया दर्शित है कि प्रतिवादी वादीगण के उक्त आधिपत्य में हस्तक्षेप करने हेतु प्रयासरत है। ऐसी दशा में वादीगण के आधिपत्य को संरक्षित किया जाना प्रथमदृष्टया आवश्यक प्रतीत होता है। उपरोक्त समस्त परिस्थितियों एंव अभिलेख पर विद्यमान दस्तावेजों के आधार पर प्रथमदृष्टया मामला वादी के पक्ष में नहीं पाया जाता है।

विचारणीय बिन्दु कमांक-2

10— अपूर्णीय क्षिति से तात्प्यं है कि ऐसी क्षिति जो अवैध कृत का परिणाम हो तथा जिसे धन से नही तौल जा सकता हो। वादीगण की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वादग्रस्त दुकानो पर वह व्यवासय संचालित कर परिवार का भरण—पोषण करते है तथा उनके पास अन्य कोई दुकाने भी नहीं है। वादीगण का

भरण-पोषण उक्त विवादित दुकानो पर आधारित होना प्रथमदृष्ट्या परिलक्षित है तथा यदि उनके आधिपत्य को संरक्षित नही किया गया तो बेरोजगार होकर उन्हे अपूर्णीयक्षति कारित होने की पूर्ण संभावना है।

विचारणीय बिन्दू कमांक-3

- 11— निषेधाज्ञा देने या ना देने से किस पक्ष को तुलनात्मक रूप से अधिक असुविधा होगी यह देखना होता है, जिसे सुविधा का संतुलन कहते है। चूंकि वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व एंव आधिपत्य प्रतिवादी का होना प्रथम दृष्टया दर्शित है, ऐसी स्थिति में यदि निषेधाज्ञा नही दी जाती है तो प्रतिवादी के अपेक्षा वादीगण को अधिक असुविधा होगी। अतः सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में पाया जाता है।
- उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर प्रथम दृष्ट्या वाद, अपूर्णीय क्षति व सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में पाया जाता है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सि.प्र.सं., आई.ए.नंबर—1 स्वीकार किया जाता है एवं निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है:-
 - 1. वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी के विरुद्ध आदेश दिनांक से छः माह के लिये इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि प्रतिवादी वादग्रस्त दुकानो में स्वंय अथवा अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से अवैधरूप से किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।
 - इस आदेश का वाद के अंतिम निराकरण पर कोई प्रभाव नहीं
 - 3. आवेदन पत्र के व्यय का निराकरण प्रकरण के अंतिम निराकरण पर किया जावेगा।

मेरे निर्देश पर टंकित।

दिनांक - 4 अप्रैल, 2018 स्थान-बैतुल

(विजयश्री राठौर) प्रथम व्यवहार न्याया.वर्ग-2 बैतूल, मध्यप्रदेश 310 CT 100 CT 21 C